न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 198/2020 निर्णय दिनांक :–19.02.2021

भूलादेवी पत्नि रामराज जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी पुनर्वास कॉलोनी, पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0

– प्रार्थिया–

बनाम

1. कानी पुत्री रामपाल जाति माली उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. नन्दू पत्नि रामपाल जाति माली उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

श्री राजेश जैन
अधिवक्ता प्रार्थीया

श्री सत्यनारायण धाकड़
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता नम्बर 82 खसरा नम्बर 419 रकबा 1.48 है0 बरानी प्रथम वाके ग्राम गोपीपुरा पटवार हल्का पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 422 रकबा 1.38 है0 वाके ग्राम गोपीपुरा पटवार हल्का पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे स्थित है। प्रार्थीया अपनी उक्त खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 419 रकबा 1.48 है0 पर अपने पूर्वजो के समय से ही आम रास्ता खसरा नम्बर 421 अप्रार्थीयागण संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 422 की उत्तरी दिशा की ओर स्थित मेर पर से होकर आती जाती रही है तथा उपयोग उपभोग करती आ रही है परन्तु अब अप्रार्थीयागण संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीया की उक्त खातेदारी की भूमि मे आने जाने वाले उक्त रास्ते को बंद कर दिया है जिससे

19.2.21

प्रार्थीया को अपनी भूमि मे आने जाने मे काफी परेशानी हो रही है तथा रास्ते के अभाव मे प्रार्थीया अपनी खातेदारी की भूमि को काश्त नही कर पा रही है जिसके कारण प्रार्थीया को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीया की उक्त आराजीयात पर आने जाने का अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीया को अपनी उक्त आराजीयात पर आने जाने के लिये आम रास्ता खसरा नम्बर 421 मे से अप्रार्थीयागण संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 422 की उत्तरी दिशा की ओर स्थित मेर पर से होकर 20 फिट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीया नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशि जमा कराने को तैयार है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण धाकड़ ने वकालतनामा पेश किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब न देकर सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया।

तहसीलदार देवली से मौका रिपोर्ट ली गई जो इस प्रकार हैः—प्रार्थी की आराजी मे पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी को चाहे जाने वाले रास्ते की लम्बाई 54 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर होगी व क्षेत्रफल 324 वर्गमीटर होगा। यह एनएच से 200 से 500 मीटर की रेंज मे आता है तथा उक्त भूमि सिंचित है। प्रस्तावित रास्ते की डीएलसी दर की जमा योग्य राशि 138716 रूपये है। आराजी आवेदक की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ख0नं0 422 मे से रास्ता चाहता है जिसे लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड़, दिवार आदि नही है। अप्रार्थीगण रास्ता देने हेतु सहमत नही है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा. पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार भी प्रार्थी की आराजी में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अतः तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार रास्ता प्रदान करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी नें अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि ख. नं. 419 के साथ साथ ख. नं. 411 व 412 भी प्रार्थीया की खातेदारी भूमि है जो रास्ते से लगती हुई है, जिसमें से प्रार्थी अपनी आराजी भूमि ख. नं. 419 में आ जा सकता हैं। प्रार्थी ने केवल हैरान व परेशान करने की नियत से न्यायालय मे प्रार्थनापत्र पेश किया है जो खारिज योग्य है।

पत्रावली व तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रार्थीया अपनी आराजी भूमि ख. नं. 419 में जाने के लिए ख. नं. 422 में रास्ता चाहती है, जिसके लिए तहसीलदार देवली ने रिपोर्ट भी पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि भूमि ख. नं. 419 के साथ साथ ख. नं. 411 व 412 भी प्रार्थीया की खातेदारी भूमि है जो रास्ते से लगती हुई है, जिसमें से प्रार्थी अपनी आराजी भूमि ख. नं. 413, 417 में आ जा सकता हैं। जमाबन्दी सम्वत 2073–76 का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि ख. नं. 411 व ख. नं. 412 भी प्रार्थीया की खातेदारी भूमि है जो ख. नं. 413, 417 गै. मु. रास्ते के लगती हुई है, जिनसे प्रार्थीया अपनी आराजी भूमि में आसानी से आ जा सकती है। प्रार्थीया सुविधा के लिए रास्ता चाहती है जो धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुकुल नहीं है। तहसीलदार देवली को भी अपनी रिपोर्ट में सभी तथ्यो को पेश करना चाहिए। अतःप्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली